राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक जमानत निरस्तीकरण आवेदन संख्या 50/2024

राज्य राजस्थान, पी.पी. के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

इंदिरा कुमारी @ तनु पत्नि श्री पवन मीणा, निवासी ग्राम भीरलवाड़ी, थाना पीपल्या, जिला झालावाड़ (राज.), वर्तमान में किरायेदार मकान संख्या 410, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, थाना उद्योग नगर, कोटा (राज.)

----प्रतिवादी

<u>संबद्ध प्रकरण</u>

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2025/2024

अनुज पोखरना @ मिक्की जैन पुत्र स्व. रोशन लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मकान संख्या 1-डी-24, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तलवंडी, थाना जवाहर नगर, कोटा सिटी। (वर्तमान में सेंट्रल जेल, कोटा में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य राजस्थान, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2642/2024

ऋषभ राज गुर्जरिया @ ऋषभ @ रौनक पुत्र फूलचंद, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम नियमतकहेड़ी, थाना रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.), वर्तमान में मकान संख्या 1338-डी, विनोबा भावे नगर, थाना आनंदपुरा, जिला कोटा (राज.) (वर्तमान आरोपी सेंट्रल जेल, कोटा में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य राजस्थान, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री समर्थ शर्मा श्री ओम प्रकाश पारीक श्री पंकज गुप्ता	(अभियुक्त के लिए)
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री इमरान खान, पीपी राज्य की ओर से।	

माननीय श्री जस्टिस अनुप कुमार धंड

आदेश

आरक्षित किया गया : 03/05/2024

घोषित किया गया : 10/05/2024

रिपोर्टेबल

"वह वादी जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है अथवा जो न्याय के शुद्ध स्रोत को मैली प्रवृत्तियों के साथ छूता है, वह किसी भी प्रकार की राहत—अंतरिम हो या अंतिम—का हकदार नहीं है।"

"न्याय प्रशासन की धारा को प्रदूषित होने से बचाए रखना आवश्यक है ताकि न्यायालय के वातावरण की शुद्धता, राज्य के सभी अंगों में जीवंतता का संचार कर सके। न्यायिक क्षेत्र को प्रदूषित करने वालों का समुचित ध्यान रखा जाना आवश्यक है ताकि न्यायालय के वातावरण की गरिमा बनाए रखी जा सके; साथ ही, इससे न्याय को निष्पक्ष रूप से और सभी संबंधित पक्षों की संतुष्टि के अनुसार प्रदान करना संभव हो सके।"

क्या ऐसा कोई पक्ष, जो महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाकर या छुपाकर और न्यायालय के समक्ष अशुद्ध हाथों से प्रस्तुत हो रहा है, किसी भी प्रकार की राहत का हकदार है या नहीं? क्या ऐसे मामलों में जमानत मांगने के संबंध में समानता के सिद्धांत को सीधे-

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

सीधे लागू किया जा सकता है? इन सभी मुद्दों का निर्णय इस न्यायालय द्वारा इन समूहीकृत आवेदनों में किया जाना आवश्यक है।

1. एफ.आई.आर. संख्या 234/2023, जो थाना जवाहर नगर, कोटा सिटी, जिला कोटा में दर्ज कराई गई थी, की जांच के उपरांत, पुलिस ने चार अभियुक्तों—यथा इंदिरा कुमारी (जिसे आगे इंदिरा कुमारी कहा जाएगा), अनुज पोखरना, पवन मीणा और ऋषभ राज—के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिन पर निम्नलिखित अपराध लगाए गए— भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के अंतर्गत, यह आरोप है कि ये चारों व्यक्ति मृतक गणेश की हत्या करने के दोषी हैं, जो कि 07.09.2023 को हुई थी। अभियुक्त इंदिरा कुमारी को इस न्यायालय द्वारा 07.03.2024 को जमानत दी गई थी, और उक्त आदेश के आधार पर सह-अभियुक्त/आवेदक अनुज पोखरना एवं ऋषभ राज भी केवल समानता के आधार पर यही जमानत आदेश मांग रहे हैं, क्योंकि सभी चार अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य समान हैं, अतः उनके पक्ष में भी जमानत दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

2. याचिकाकर्ताओं अनुज पोखरना एवं ऋषभ राज के अधिवक्ता ने कहा कि उनका मामला सह-आरोपी इंदिरा कुमारी के मामले के समान है, जिन्हें इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2024 के आदेशानुसार जमानत का लाभ दिया गया है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चश्मदीद गवाह सुमित शर्मा एवं मोहम्मद कैफ के द्वारा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान के अनुसार, प्रत्येक आरोपी सहित सह-आरोपी

---

1 दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 2 एससीसी 14

2 चंद्र शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा (1995) 1 एससीसी 421

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

इंदिरा कुमारी की उपस्थिति उस स्थान पर स्थापित हो गई है, जहाँ घटना घटी थी। अधिवक्ता ने कहा कि इन परिस्थितियों में वर्तमान याचिकाकर्ताओं का मामला भी इंदिरा कुमारी के मामले के बराबर है। अतः याचिकाकर्ता भी समानता के आधार पर जमानत की वही रियायत पाने के हकदार हैं।

3. इसके विपरीत, सीखे हुए लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया और यह प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी इंदिरा कुमारी के जमानत आवेदन पर बहस के समय, सही तथ्यों को इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था, और चश्मदीद गवाह सुमित शर्मा और मोहम्मद कैफ के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान जमानत आवेदन के अभिलेख के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लोक अभियोजक ने यह प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी इंदिरा कुमारी की ओर से यह तर्क रखा गया था कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। अतः, इस विषय के महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए, उन्हें जमानत की रियायत दी गई। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2024 के आदेश के जरिए सह-आरोपी इंदिरा कुमारी को उनकी जमानत रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्योंकि तथ्यों और उनके खिलाफ साक्ष्य की गलत प्रस्तुति और दमन किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में सह-आरोपी इंदिरा को दी गई जमानत के आदेश को रद्द किया जाना संभाव्य है और दिनांक 07.03.2024 का आदेश, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने जमानत दी थी, उसे पुनः विचार हेतु वापस लिया जाना चाहिए।

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

4. सह-आरोपी इंदिरा कुमारी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब इन दो चश्मदीद गवाहों, अर्थात् सुमित शर्मा और मोहम्मद कैफ के बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए थे, तब उन्होंने सह-आरोपी इंदिरा कुमारी के खिलाफ कुछ भी आरोपित नहीं किया और उनके बयान एवं एफआईआर में इंदिरा कुमारी की उपस्थिति नहीं दर्शाई गई। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सह-आरोपी इंदिरा कुमारी को जमानत का लाभ दिया गया। अतः, उनकी ओर से किसी तथ्य का दमन नहीं किया गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान, जो धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए, वे सह-आरोपी इंदिरा कुमारी द्वारा जमानत आवेदन दाखिल करने के समय प्राप्त नहीं हुए थे। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में सह-आरोपी इंदिरा कुमारी की जमानत निरस्त करने के लिए जारी नोटिस को खारिज किया जाए।

5. संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. एक घटना में जो 07.09.2023 को घटी, एक व्यक्ति गणेश शर्मा @ सुनील की हत्या कर दी गई, जिसके लिए उसके भाई अनिल शर्मा ने थाने जवाहर नगर (कोटा सिटी) में 08.09.2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई और उसमें यह आरोप लगाया गया कि उसका भाई गणेश शर्मा को अंतिम बार 05.09.2023 को अनुज पोखरना, पवन मीणा और ऋषभ की संगति में जीवित देखा गया था तथा 07.09.2023 को उसकी लाश

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

अनुज पोखरना के घर से मिली। संदेह के आधार पर, उनके द्वारा एफआईआर संख्या 234/2023 दर्ज कराई गई।

7. इस रिपोर्ट के आधार पर अपराध संख्या 234/2023 धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया और जांच के दौरान कई गवाहों के बयान धारा 161 एवं 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए, जिनमें अनिल शर्मा एवं मोहम्मद कैफ के बयान भी शामिल हैं। आरोपी इंदिरा कुमारी को सह-आरोपी अनुज पोखरना, पवन मीणा एवं ऋषभ के साथ गिरफ्तार किया गया और जांच पूर्ण होने के पश्चात सभी के विरुद्ध धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

8. आरोपी इंदिरा कुमारी ने इस न्यायालय में धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नियमित जमानत आवेदन एसबी क्रिमिनल विविध जमानत आवेदन संख्या 16250/2023 द्वारा दाखिल किया, और मामला इस न्यायालय के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया जैसे उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और गवाह अनिल शर्मा एवं मोहम्मद कैफ के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान के अनुसार मृतक को अन्तिम बार सह-आरोपी अनुज पोखरना, पवन मीणा एवं ऋषभ की संगति में देखा गया था। ऐसी दलीलों के समर्थन में गवाहों के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान दिखाए गए, जो आरोप पत्र के साथ संलग्न थे।उपरोक्त तर्क पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने यह विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि "गवाह अनिल शर्मा द्वारा सह-आरोपी अनुज पोखरना, पवन मीणा एवं ऋषभ के विरुद्ध लगाए गए आरोप, कि मृतक को अंतिम बार उनकी संगति में देखा गया था और याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

एवं इस गवाह के बयान में नहीं है।" अतः, इन तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2024 के आदेश के माध्यम से उन्हें जमानत की रियायत दी गई।

9. अब इंदिरा कुमारी के मामले में समानता का दावा करते हुए, सह-आरोपी अनुज पोखरना और ऋषभ ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत आवेदन प्रस्तुत की है और इंदिरा कुमारी को दी गई जमानत के समान रियायत की मांग कर रहे हैं।

10. अनुज पोखरना और ऋषभ राज के सीखे हुए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुख्य गवाहों यानी अनिल शर्मा तथा मोहम्मद कैफ के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयानों के अनुसार, सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप समान हैं और चारों अभियुक्तों की उपस्थिति मृतक के साथ घटना स्थल पर उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात् 07.09.2023, जब मृतक की हत्या हुई थी, दर्शाई गई है। समानता के आधार पर की गई दलील के अतिरिक्त इनके द्वारा और कोई तर्क नहीं दिया गया।

11. इस न्यायालय को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अंतिम बार मृतक के साथ देखे गए मुख्य गवाह अनिल शर्मा और मोहम्मद कैफ के बयान, जो जांच के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए थे, आरोप पत्र का हिस्सा तो थे किंतु इन अंतिम बार देखे गए गवाहों के ये बयान, न ही तो आरोप पत्र के साथ संलग्न किए गए और न ही जमानत आवेदन के साथ तथा न ही लोक अभियोजक को उपलब्ध कराए गए।

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

12. छुपाए गए और दबाए गए अपूर्ण आरोप पत्र पर भरोसा करते हुए, आरोपी इंदिरा कुमारी को इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया गया, उसके मामले को ऐसे माना गया जैसे मृतक के साथ उसके अंतिम बार देखे जाने का कोई साक्ष्य उसके विरुद्ध नहीं था, जबकि वह मृतक के साथ अन्य तीन आरोपियों की संगति में हत्या की घटना के समय बहुत स्पष्ट रूप से अंतिम बार देखी गई थी।

13. इस चरण पर, इस न्यायालय ने दिनांक 20.03.2024 के आदेश द्वारा आरोपी इंदिरा कुमारी को उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए। नोटिस की सेवा के बाद, उसने अपने उत्तर में यह प्रस्तुत किया कि वह इस सदाशयी विश्वास में थी कि उसने अपनी जमानत याचिका दाखिल करने के लिए पूरे दस्तावेज़ भेज दिए हैं। आरोपी इंदिरा कुमारी की यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सह-आरोपी अनुज एवं ऋषभ द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आरोप पत्र, उनकी जमानत याचिकाओं के साथ, अंतिम बार देखे गए गवाह अनिल शर्मा एवं मोहम्मद कैफ के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान समाहित किए गए थे, तो निश्चित रूप से आरोपी इंदिरा कुमारी को भी अपनी जमानत याचिका के साथ प्रस्तुत आरोप पत्र के साथ उनके बयान प्रस्तुत करने थे।

14. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि आरोपी इंदिरा कुमारी ने अपने विरुद्ध महत्वपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों को छुपाया एवं दबाया है और इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं हुई है। उसने न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों की गलत प्रस्तुति की है ताकि इस प्रकार आदेश प्राप्त किया जा सके मानो उसके विरुद्ध कोई

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

साक्ष्य नहीं है, जबकि वास्तविकता में उसके विरुद्ध एवं अन्य सह-आरोपियों के साथ अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने का साक्ष्य उपलब्ध था।

15. इस प्रकार की जानबूझकर की गई कार्रवाई द्वारा, आरोपी इंदिरा कुमारी ने न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास किया है और उसने इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत न होकर, अपने विरुद्ध रिकार्ड पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को छुपाकर एवं दबाकर जमानत की रियायत पाने का प्रयास किया है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंद्रा शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा **(1995) 1** एससीसी **421** के मामले में यह स्थापित किया है कि न्याय प्रशासन की धारा अपदूषित रहनी चाहिए ताकि न्यायालय के वातावरण की शुद्धता राज्य के सभी अंगों को जीवन्तता प्रदान कर सके। न्यायिक वातावरण को प्रदूषित करने वालों का, अतः, अच्छे से ध्यान रखना आवश्यक है ताकि न्यायालय के वातावरण की उत्कृष्टता बनी रहे; इससे न्यायालय को निष्पक्ष रूप से तथा सभी संबंधितों की संतुष्टि के लिए न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। यह न्यायालय उक्त निर्णय के पैरा 2 का उल्लेख करना चाहता है, जिसमें देखा गया है कि जो कोई भी धोखाधड़ी का सहारा लेता है, वह न्यायिक कार्यवाही की दिशा बदलता है; या यदि कोई कार्य कपटपूर्ण उद्देश्य से किया जाता है, तो वह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ सही तरीक़े से व्यवहार करना आवश्यक है, केवल किए गए गलत कार्य के लिए उन्हें दंडित करना ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को ऐसे ही कार्यों से रोकना भी आवश्यक है, जो न्याय प्रशासन प्रणाली में लोगों का विश्वास डगमगा देते हैं। इसी निर्णय के पैरा 14 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि कानूनी स्थिति यह है कि यदि कोई प्रकाशन न्यायालय को धोखा देने की मंशा

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

से किया जाए या धोखा देने के उद्देश्य से किया जाए, तो वह अवमानना मानी जाएगी, क्योंकि वह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करती है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.डी. शर्मा बनाम स्टील स्टेट ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य **(2010) 2** एससीसी **114 के** मामले में पैरा 39 में निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया है:

> "39. यदि प्राथमिक उद्देश्य, जैसा केंसिंग्टन आयकर आयुक्त, (1917) 1 केबी 486 : 86 एलजे केबी 257 : 116 एलटी 136 (सीए) में बताया गया है, ध्यान में रखा जाए, तो कोई भी आवेदक जो स्पष्ट तथ्यों और "स्वच्छ हाथों" के साथ नहीं आता है, वह न्यायालय से आदेश प्राप्त नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण तथ्यों का दमन या छुपाना वकालत नहीं है। यह बाजीगरी, हेरफेर और गलत प्रस्तुति है, जिसका समान्य और विशेषाधिकार प्राप्त अधिकार क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। यदि आवेदक सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सही रूप में और ईमानदारी से प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि उन्हें विकृत रूप में प्रस्तुत करता है और न्यायालय को गुमराह करता है, तो न्यायालय के पास अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और अपने आपको बचाने की अंतर्निहित शक्ति है कि वह आदेश के पालन की प्रक्रिया को समाप्त कर दे और मामले का गुण-दोष के आधार पर आगे परीक्षण करने से इनकार कर दे। यदि न्यायालय उस आधार पर याचिका को अस्वीकार नहीं करता है, तो न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल रहेगा। वस्तुतः, ऐसे आवेदक के विरुद्ध न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने हेतु अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए।

18. सर्वोच्च न्यायालय ने दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2010) 2** एससीसी **14** के मामले में पैरा 2 में निम्नलिखित रूप से कहा है:

> "2. पिछले 40 वर्षों में, वादियों का एक नया वर्ग सामने आया है। इस वर्ग में शामिल लोग सत्य का कोई सम्मान नहीं करते। वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

के लिए बेहिचक असत्य और अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हैं। इस नए वर्ग के वादियों की चुनौती का सामना करने के लिए, न्यायालयों ने समय-समय पर नए नियम विकसित किए हैं और अब यह सिद्ध हो चुका है कि जो वादी न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय की निर्मल धारा को दूषित हाथों से छूता है, वह किसी भी राहत, अंतरिम या अंतिम, पाने का अधिकारी नहीं है।"

19. पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोती लाल सोंगारा बनाम प्रेम प्रकाश@एल्मोल एवं अन्य **(2013) 9** एससीसी 199 के मामले में पैरा 19 और 20 में निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया है:

"19. प्रस्तुतियों का दूसरा पक्ष यह है कि उपलब्ध तथ्यों की पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा प्रतिवादी-आरोपी को निष्कासित किया गया है, कानून में उचित है या नहीं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यद्यपि प्रतिवादी इस तथ्य से पूरी तरह अवगत था कि उसके विरुद्ध विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा आरोप तय किए गए हैं, फिर भी उसने संशोधन आदेश के विरुद्ध सुनवाई करते समय संशोधन न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य नहीं लाया। यह तथ्य दबाने का स्पष्ट मामला है। यह आरोपी के विशेष ज्ञान में था। कोई भी व्यक्ति, जो न्यायालय में तथ्य दबाने की विधि का सहारा लेता है, वास्तव में न्यायालय के साथ धोखा करता है, और "सप्रेस्सियो वरी" (सत्य को दबाना) की सैद्धांतिक बात लागू होती है, अर्थात् सत्य को दबाना असत्य को प्रस्तुत करने के बराबर है। हमें कहना पड़ रहा है क्योंकि संशोधन न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाने में एक सोचा-समझा कृत्य किया गया। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-आरोपी ने तथ्य दबाकर लाभ लेने की कोशिश की। कपटपूर्ण मंशा स्पष्ट रूप से दिखती है। वास्तव में, उसने अज्ञानता का साहस दिखाया और चालाकी करने का प्रयास किया।

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

> 20. जैसा कि हमने देखा है, उच्च न्यायालय ने उस सिद्धांत को लागू किया है कि "जब आधारभूत संरचना गिर जाती है, तो उपरिचर संरचना भी अवश्य ढह जाएगी।" तथापि, यदि आदेश न्यायालय के समक्ष तथ्य दबाकर और धोखाधड़ी का अभ्यास करके लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त किया गया है, तो ऐसा आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता।"

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **किशोर सम्राट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (2013) 2 एससीसी 398** के मामले में न्यायालय की प्रक्रिया /कानून/ न्यायालय में धोखाधड़ी का दुरुपयोग, व्यवहार और प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख किया है। इस निर्णय में यह भी बताया गया है कि वादी की बाध्यताएँ जब वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है और प्रक्रिया के दुरुपयोग के परिणाम क्या हो सकते हैं। यह न्यायालय उक्त निर्णय के पैरा 8 का उल्लेख करना चाहता है, जिसमें निम्नलिखित लिखा गया है:

> "8. किशोर सम्राट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 2 एससीसी 398 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 32 में व्यवहार और प्रक्रिया, न्यायालय/ कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग/न्यायालय में धोखाधड़ी के संबंध में यह कहा है। इस निर्णय में, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते समय वादी की जिम्मेदारियों और प्रक्रिया के दुरुपयोग के परिणामों का प्रावधान करने वाले सिद्धांतों को साझा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग और ऐसे संबंधित मामलों के केस लगातार न्यायालयों के समक्ष आते रहे हैं। यह देखा गया है कि न्यायालय ने ऐसे मामलों से कई बार निपटा है और स्पष्ट रूप से वे सिद्धांत बताए हैं, जो किसी भी शिकायत के समाधान के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते समय वादी की जिम्मेदारी का मार्गदर्शन करेंगे तथा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के परिणामों का निर्धारण करेंगे। हम इन सिद्धांतों में से कुछ का संक्षिप्त रूप में पुनरावलोकन और उल्लेख कर सकते हैं। ऐसे सिद्धांतों को पूरी

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

तरह एवं इतनी सटीकता के साथ बताना कठिन है कि वे विविध मामलों में समान रूप से लागू हों। ये हैं:"

32.1 न्यायालयों ने सदियों से उन वादियों को अस्वीकार किया है, जो न्यायालयों को धोखा देने और गुमराह करने के इरादे से बिना तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण किए कार्यवाही प्रारंभ करते हैं और "अस्वच्छ हाथों" के साथ न्यायालयों में आते हैं। न्यायालयों ने माना है कि ऐसे वादी न तो मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के अधिकारी हैं और न ही किसी राहत के पात्र हैं।

32.2 जो व्यक्ति न्यायालय में एकतरफा कथन देकर राहत की मांग करते हैं, उनका न्यायालय के साथ अनुबंध होता है कि वे पूरे मामले को न्यायालय के समक्ष पूर्णतः और निष्पक्षता से प्रस्तुत करेंगे, और जहाँ वादी ने उस विश्वास को तोड़ा है, वहां न्यायालय के विवेक का प्रयोग ऐसे वादी के पक्ष में नहीं किया जा सकता।

32.3 स्वच्छ हाथों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होना एक पूर्णतः बाध्यकारी दायित्व है और इस न्यायालय द्वारा बार-बार पुनरावृत्त किया गया है।

32.4 व्यक्तिगत लाभ के लिए खोज इतनी तीव्र हो गई है कि जो लोग मुकदमेबाजी में भाग लेते हैं वे असत्य एवं तथ्यों को गुमराह/दबाने में संकोच नहीं करते। भौतिकतावाद, अवसरवाद और दुष्प्रवृत्ति ने छोटे लाभों के लिए वाद की मूल भावना को ढंक लिया है।

32.5 जो वादी न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या न्याय की निर्मल धारा को दूषित हाथों से छूता है, वह किसी भी राहत, अंतरिम या अंतिम, पाने का अधिकारी नहीं है।

32.6 न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

को रोकने के लिए, वह सुरक्षा देने पर भी जोर देने के लिए उचित होगा और गम्भीर दुरुपयोग के मामलों में, न्यायालय भारी लागत लगाने के लिए बाध्य होगा।

32.7 जहाँ कहीं भी सार्वजनिक हित का उल्लेख हो, न्यायालय को याचिका की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें वास्तविक सार्वजनिक हित शामिल है। न्याय की धारा को कपटी वादियों द्वारा प्रदूषित न होने देना चाहिए।

32.8 न्यायालय को, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर अत्यंत सतर्कता बनाए रखनी चाहिए और आमतौर पर हस्तक्षेपकारी दर्शकों को "वीसा" नहीं देना चाहिए। सामाजिक प्रदूषक कई नई समस्याएँ और अनसुलझी शिकायतें उत्पन्न करते हैं, और न्यायालय को उन्हीं मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहाँ न्याय वास्तव में उचित ठहराया जा सके।

21. अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री और उपर्युक्त दर्ज किए गए निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर ध्यान देने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि आरोपी इंदिरा कुमारी ने इस न्यायालय से दिनांक 07.03.2024 का जमानत आदेश महत्वपूर्ण साक्ष्य, अर्थात् अंतिम बार देखे गए गवाह - अनिल शर्मा एवं मोहम्मद कैफ के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान दबाकर प्राप्त किया है। यदि उक्त महत्वपूर्ण तथ्य इस न्यायालय के संज्ञान में लाए जाते, तो विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय परिणाम/आदेश भिन्न होता। मोती लाल सोंगारा **(सुप्रा)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि यदि कोई आदेश तथ्यों के दमन से प्राप्त किया जाता है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि ऐसे आदेश को निरस्त करे।

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

ऐसे व्यक्ति को उस आदेश का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भी माना गया है कि अपराध के पीड़ित को उतना ही न्याय पाने का अधिकार है, जितना आरोपी को।

22. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि आरोपी इंदिरा कुमारी ने धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयानों को दबाकर और छुपाकर दिनांक 07.03.2024 का जमानत आदेश प्राप्त किया है। आरोपी इंदिरा कुमारी का यह कृत्य कानून की दृष्टि में कायम नहीं रह सकता और उसके जमानत आदेश दिनांक 07.03.2024 को वापस लिया जाना न्यायोचित है। अतः, उक्त आदेश को वापस लिया जाता है और आरोपी इंदिरा कुमारी को दी गई जमानत निरस्त की जाती है। पुलिस अधीक्षक, कोटा एवं थाना प्रभारी, थाना जवाहर नगर, कोटा सिटी को निर्देशित किया जाता है कि वे उसे अभिरक्षा में लें और विचारण हेतु प्रस्तुत करें।

23. अब यह न्यायालय आरोपी अनुज पोखरना और ऋषभ राज के जमानत आवेदन का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ता है। उनका पूरा दावा समानता पर आधारित है और वे आरोपी इंदिरा कुमारी के साथ समानता का दावा कर रहे हैं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा 07.03.2024 को जमानत दी गई थी। मामले के गुण-दोष पर उनके द्वारा कोई अन्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

24. न्यायालय के विचारार्थ जो प्रश्न शेष है वह यह है कि क्या ये दोनों आरोपी नकारात्मक समानता का दावा कर सकते हैं, यह कहते हुए कि उनका मामला आरोपी इंदिरा के समान है, जिन्होंने गवाहों के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान/साक्ष्य को दबाकर और छुपाकर जमानत मांगी थी।

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

25. सिद्धांत है कि समानता का सिद्धांत सकारात्मक समानता पर आधारित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अवैधता की गई है या किसी न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो दूसरा व्यक्ति अधिकार स्वरूप वही समानता का दावा नहीं कर सकता और ना ही न्यायालय से यह अनुरोध कर सकता है कि वही आदेश, उसी अवैधता को दोहराकर या गुणात्मक रूप से उसी गलत आदेश को पारित करके, दिया जाए। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरूण कुमार बनाम सहायक निदेशक निदेशालय, एस.एस. स्केल (क्रिमिनल) नंबर **9431/2023** के मामले में पैरा 19 में कहा है:

> "19. यह स्वयंसिद्ध है कि समानता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित सकारात्मक समानता की गारंटी पर आधारित है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, या किसी न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उच्च या श्रेष्ठ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं कर सकते कि वही अनियमितता या अवैधता को दोहराया जाए या समान गलत आदेश पारित किया जाए। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को बनाए रखना नहीं है। यदि किसी प्राधिकृति या न्यायालय द्वारा बिना वैधानिक आधार या औचित्य के किसी एक या एक समूह को कोई लाभ अथवा फायदा दिया गया है, तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर अधिकार स्वरूप वह लाभ नहीं मांग सकते।"

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमीनुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एसएएस स्कोर (क्रिमिनल) नंबर **5029/2021** के मामले में यह माना है कि केवल इस आधार पर समानता से जमानत का दावा नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

प्रासंगिक विचारों की अनदेखी करते हुए जमानत दे दी गई है। इसे पैरा 12 से 19 में निम्नानुसार कहा गया है:

> "12. आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जमानत मांगते समय प्रमुख तर्क यह था कि सह-आरोपियों को समानता के आधार पर जमानत दी गई है क्योंकि उसका मामला भी समान स्थिति में था। प्रस्तुतियों में कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 को 02.09.2019 से अभिरक्षा में रखा गया है; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और कि मुकदमा होने में समय लगेगा। उच्च न्यायालय ने मामले के किसी अन्य पक्ष पर विचार नहीं किया और केवल इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत देने की कार्यवाही की कि समान रूप से स्थित सह-आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इस न्यायालय द्वारा सह-आरोपी फहीम को जमानत देने वाले आदेश पर भारी अस्वीकृति व्यक्त की गई, यह बात निर्विवाद रूप से बनी हुई है।"

13. निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.03.2021 में, इस न्यायालय ने यह तथ्य संज्ञान में लिया कि उच्च न्यायालय ने सह-आरोपी को जमानत देते समय प्रासंगिक विचारों की अनदेखी की तथा केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आदेश का उल्लेख किया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2021 के निर्णय एवं आदेश में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ एवं अभिव्यक्तियाँ लाभप्रद रूप में निम्नलिखित रूप में उद्धृत की जा सकती हैं:

> "7. परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि अपीलकर्ता के पुत्र की निर्मम हत्या की गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आठ तक पूर्व-मरणासन्न चोटों का उल्लेख है। अपराध का कथित रूप से दिन में ही खुले आम घटित होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध संख्या 438/2019 लगभग 2108 घंटे पर दर्ज की गई, घटना के लगभग चार घंटे के भीतर, जिसकी घटना उसी दिन 1715 घंटे पर घटित होना बताई गई। जांच पूर्ण होने के बाद, आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के तहत प्रस्तुत किया गया। इस

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

न्यायालय के कई निर्णयों में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय कारण दर्शाने की आवश्यकता को बल दिया गया है। इसी चरण में, हम हालिया निर्णय महिपाल बनाम राजेश कुमार का उल्लेख कर सकते हैं, जिस पर सुश्री बंसुरी स्वराज, प्रदेश उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता ने भरोसा किया था। दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से, हम में से एक (न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़) ने उल्लेख किया:"

"25. केवल यह दर्ज करना कि "अभिलेख का अवलोकन किया गया" और "मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर" तर्कसंगत न्यायिक आदेश के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। यह खुले न्याय का मूल सिद्धांत है, जिसके लिए हमारी न्यायिक व्यवस्था प्रतिबद्ध है, कि किन तथ्यों को न्यायाधीश ने जमानत की स्वीकृति या अस्वीकृति के दौरान महत्त्वपूर्ण माना, वे आदेश में अंकित हों। खुला न्याय इन्हीं आधारों पर आधारित है।" यह विचार कि न्याय केवल किया ही न जाए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय किया गया है। न्यायधीशों का उत्तरदायित्व है कि वे तर्कसंगत निर्णय दें और यही इस प्रतिबद्धता का केंद्र है। जमानत देने के प्रश्न में उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता से संबंध होता है जो आपराधिक अभियोजन का सामना कर रहे हैं, साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली के हित भी जुड़े हैं कि जिन्होंने अपराध किया है, उन्हें न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए। न्यायधीशों का यह कर्तव्य है कि वे उस आधार को स्पष्ट करें, जिस पर वे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

27. जब कोई आदेश जमानत देने या जमानत से इनकार करने के पीछे वह कारण नहीं बताता जिससे निर्णय लिया गया है, तो यह मान लिया जाता है कि मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया, जिससे इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

8. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने केवल यह उल्लेख किया कि प्रस्तुतियाँ पर विचार करने और अनुच्छेद 21 के "विस्तृत आदेश" को ध्यान में रखते हुए जमानत दी जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा एक संवैधानिक मूल्य है, जिसका उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। समान रूप से, ऐसे मामले में जिसमें गंभीर हत्या का अपराध हुआ है, आरोपी की स्वतंत्रता को आपराधिक न्याय व्यवस्था में लोकहित के साथ संतुलित करना आवश्यक है, जिसमें यह अपेक्षित है कि अपराध के आरोपी को उत्तरदायी ठहराया जाए। जमानत देने के संबंध में स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, किसी गंभीर अपराध हेतु प्रस्तुत मामले में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान मामले के लिए कोई आधार नहीं बनता।

जमानत देने में, उच्च न्यायालय प्रासंगिक उन विचारों को नोटिस करने में विफल रहा है, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था, किंतु उन्हें संज्ञान में नहीं लिया गया। उपर्युक्त परिस्थितियों में, हम अपील स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25 फरवरी 2020 को निरस्त करते हैं। इस आदेश के परिणामस्वरूप, द्वितीय प्रतिवादी तत्काल आत्मसमर्पण करेगा।

14. उपरोक्त स्थिति वर्तमान मामले में भी समान रूप से लागू होती है। इसके अतिरिक्त, जब सह-आरोपी को दी गई जमानत को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और केवल उसी आधार पर उत्तरदायी संख्या 2 को जमानत दी गई थी, तो विवादित आदेश को निरस्त किया जाना उचित है।

15. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुतियाँ कि इस न्यायालय में सह-आरोपी की ओर से कोई उचित विरोध नहीं हुआ, न्यायालय के कथन की मूल भावना को कम नहीं कर सकती। यह स्पष्ट है कि उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने अत्यंत सरसरी ढंग से कार्यवाही की और मामले की प्रमुख

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

विशेषता को ध्यान में लिए बिना निर्णय दिया, जो कि अपीलकर्ता के पुत्र की दिन-दिहाड़े हुई नृशंस हत्या थी, जिसमें 8 गंभीर चोटें थीं, जिनमें गहरे घाव और गर्दन तथा सीने पर छुरों के घाव शामिल हैं।

16. प्रतिवादी संख्या 2 के मामले के संबंध में, हम यह कहने के लिए विवश हैं कि भले ही उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया हो कि सह-आरोपी को जमानत दी गई थी, कम से कम इतना तो आवश्यक था कि मामले के प्रासंगिक तथ्य तथा कारण बताए जाते कि प्रतिवादी संख्या 2 को समान रूप से क्यों माना गया। जिस आदेश पर भरोसा किया गया वह उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक विचारों पर ध्यान न देने के कारण त्रुटिपूर्ण था और विवादित आदेश भी इस कमी से ग्रसित है कि मामले की प्रासंगिक विशेषताओं पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया।

17. यह तर्क कि प्रतिवादी संख्या 2 को 02.09.2019 से अभिरक्षा में रखा गया था या उसके विरुद्ध कोई नकारात्मक पूर्ववृत्ति नहीं थी, अपने आप में, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाते। इस संदर्भ में, जांच अधिकारी की प्रस्तुतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जबकि घटना 10.07.2019 को घटित हुई और एक आरोपी को 11.07.2019 को गिरफ्तार किया गया, अन्य आरोपी फरार रहे और प्रतिवादी संख्या 2 ने 02.09.2019 तक आत्मसमर्पण किया। जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 की भूमिका से संबंधित सवालों का संबंध है या अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह है, वर्तमान स्थिति में यह कहना पर्याप्त है कि प्रतिवादी संख्या 2 को एफआईआर में खास तौर पर हमलावरों में नामित किया गया है; और आरोपों की प्रकृति तथा चोटों की प्रकृति को देखते हुए, अभियोजन पक्ष का मामला प्रथम दृष्टया न तो कल्पनापरक है और न ही अनुपलब्ध।

18. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, विवादित आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

19. हमने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इस मामले में अंतिम रूप से किस प्रकार का आदेश पारित किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

15.03.2021 के निर्णय एवं आदेश में, इस न्यायालय ने 15.02.2020 के उस आदेश को अस्वीकृत किया, जिसमें सह-आरोपी को ज़मानत दी गई थी और उसे तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। अधिक या कम समान स्थिति वर्तमान मामले में भी लागू होगी। इस मामले में, ज़मानत देने का आदेश 03.12.2020 को पारित हुआ था और वर्तमान मामला प्रारंभ में 12.07.2021 को विचारार्थ लिया गया था। चाहे एक गवाह, अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता की जांच हो चुकी है, अन्य गवाहों सहित, जिनमें नेत्रदर्शी गवाह भी हैं, उन्हें भी मुक़दमे के दौरान जांचा जाना है। वर्तमान परिस्थितियों और न्याय के हित में, हम यह उचित समझते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 के लिए यह विकल्प खुला रखा जाए कि वह आत्मसमर्पण करने के बाद तथा उचित चरण पर पुनः ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है।

27. इस देश के संवैधानिक सिद्धांतों में यह एक स्वयंसिद्ध सिद्धांत है कि कोई नकारात्मक समानता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, यदि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कोई लाभ या सुविधा दी गई है, बिना किसी वैधानिक आधार या औचित्य के, तो वह लाभ बढ़ या गुणात्मक रूप से नहीं बढ़ सकता, और उस पर समानता या समानता के सिद्धांत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। बसवराज और अन्य. बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, **(2013) 14** एससीसी **81** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया:

"8. यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि संविधान का अनुच्छेद 14 अवैधता या धोखाधड़ी को बनाए रखने के लिए नहीं है, चाहे वह अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को विस्तारित करके ही क्यों न हो। उक्त प्रावधान नकारात्मक समानता का विचार नहीं करता, बल्कि केवल सकारात्मक पहलू को ही मान्यता देता है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को कोई राहत/लाभ अनजाने में या गलती से प्रदान किया गया है, तो ऐसा आदेश अन्य व्यक्तियों को वही राहत पाने का कोई कानूनी अधिकार

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

> नहीं देता। यदि किसी पूर्व मामले में कोई गलत कार्य हुआ है, तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।"

अन्य निर्णयों में यह सिद्धांत स्पष्ट या लागू हो गया है (संदर्भ: चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, (1995) 1 एससीसी 745; आनंद बटन्स लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, (2005) 9 एससीसी 164; के.के. भल्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2006) 3 एससीसी 581; फुलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य, (2010) 11 एससीसी 455; और चमन लाल बनाम पंजाब राज्य, (2014) 15 एससीसी 715 एवं। हाल ही में, राज्य ओडिशा बनाम अनुप कुमार सेनापति, 2019 (19) एससीसी 625 में जिला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया:

> "यदि कोई अवैधता और अनियमितता किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में की गई है या किसी न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उच्च या श्रेष्ठ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते कि उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराया जाए या गुणात्मक रूप से वही गलत आदेश या निर्णय पारित किया जाए। किसी विशेष पक्ष के पक्ष में पारित कोई गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को उस गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता।"

28. समानता का कानून आरोपी को जमानत देने में लागू किया जाएगा, जहाँ सह-आरोपी को समान परिस्थितियों के आधार पर जमानत दी गई है। समानता का कानून एक वांछनीय नियम है और तब लागू होता है जब आरोपी का मामला उस सह-आरोपी के समान होता है, जिसे जमानत दी गई है। केवल इसलिए कि सह-आरोपी को जमानत दी गई है, यह अपने आप में जमानत देने का मापदंड नहीं है, यदि न्यायालय इस

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सह-आरोपी को उपलब्ध साक्ष्यों के विचार के बिना जमानत दे दी गई थी।

29. केवल समानता जमानत देने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता, यदि अभिलेख की जांच और परीक्षण के बाद यह तथ्य सामने आता है कि सही तथ्य और साक्ष्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए गए थे, जब सह-आरोपी को जमानत दी गई। अतः समानता के सिद्धांत को सार्वत्रिक या सख्त प्रारूप के रूप में लागू नहीं किया जा सकता।

30. चूंकि दिनांक 07.03.2024 का आदेश, जिसके तहत सह-आरोपी इंदिरा कुमारी को जमानत दी गई थी, वापस ले लिया गया है, अतः अनुरोधकर्ता अनुज पोखरना एवं ऋषभ राज द्वारा समानता के आधार पर किया गया दावा असफल रहता है और तदनुसार, उनके जमानत आवेदन अस्वीकृत किए जाते हैं।

31. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक, कोटा एवं थाना प्रभारी, थाना जवाहर नगर, कोटा सिटी को भेजी जाए।

(अनूप कुमार धांड**),** जे

दिक्षा मिश्रा, जूनियर पीए

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)

[सीआरएलएमबी-2025/2024]

Tarun Mehra

Advocate

(30/05/2025 को 12:18:10 बजे डाउनलोड किया गया)